झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004
(झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था)

अधिसूचना

संचिका संख्या –526 / SP-POCSO/JSCPS/2023-24 – 2685 राँची, दिनांक – 24.10.2024

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश

1.1 प्रस्तावना :–

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012, बाल लैंगिक शोषण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम है जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक को लैंगिक शोषण, हिंसा और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है, साथ ही रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जाँच और नामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए बाल–अनुकूल तंत्र को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बालकों के हितों की रक्षा करता है।

लैंगिक शोषण का शिकार हुए या दुर्व्यवहार का शिकार हुए पीड़ित की सहायता करने की जिम्मेदारी पूरे समुदाय को उठानी चाहिए। इसलिए, इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर पुनर्वास प्रक्रिया को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 39 में स्पष्ट रूप से पीड़ित के लिए सहायक व्यक्ति, विशेषज्ञों आदि की सहायता लेने के दिशा–निर्देशों के बारे में बताया गया है।

सहायक व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य कानूनी कार्यवाही के दौरान पीड़ितों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना और उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये व्यक्ति पीड़ित को कानूनी प्रणाली से निपटने में मदद करने और उन्हें अपने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से गवाही देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, पीड़ित का उचित पुनर्वास सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस दिशा–निर्देश का मुख्य उद्देश्य लैंगिक हिंसा से पीड़ित एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक स्तर पर पीड़ित को सहयोग प्रदान करने के लिये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहायक व्यक्ति की व्यवस्था एवं प्रक्रिया को सुलभ, स्पष्ट और प्रभावी बनाना भी है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 में उपबंधित लैंगिक हिसां / दुर्व्यवहार / हमला से पीड़ित को कानूनी / विधिक प्रक्रिया सहित प्रत्येक स्तर पर पीड़ित को बाल शुलभ वातावरण उपलब्ध कराने, सहज प्रक्रिया के पालन करने, पीड़ित को मुआवजा योजना के अर्न्तगत मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया, पीड़ित को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने तथा

पीड़ित के सर्वोतम हित, मान–सम्मान, भेदभाव रहित तथा सुरक्षित वातावरण में रहना सुनिश्चित कराने के उददेश्य से 'सहायक व्यक्ति'(Support person) के लिए दिशा–निर्देश का मुख्य उद्देश्य है।

झारखण्ड सरकार ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39; पॉक्सो नियम, 2020; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली 2017 की धारा 54(14) एवं 83 (iv.c), ''लैंगिक अपराधों से बालक के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए योजना'', 2023 के वर्णित प्रावधानों को संदर्भित कर NCPCR के मॉडल दिशा–निर्देश के आधार पर लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश तैयार किया है।

1.2 संक्षिप्त शीर्षक :–

इस दिशा–निर्देश को "सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश, झारखण्ड 2024" कहा जायेगा, जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा जो अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगा।

1.3 परिभाषाएं :–

क. इस दिशा–निर्देश में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

i. ''बालक'' से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(1)(घ) में परिभाषित बालक अभिप्रेत है;
ii. ''बालक का सर्वोत्तम हित'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में परिभाषित बालक का सर्वोत्तम हित अभिप्रेत है;
iii. ''केस वर्कर'' से ऐसे पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के केस में मनोनयन किया गया अभिप्रेत है;
iv. ''सहायक व्यक्ति (Support Person)'' से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 2(1)(च) में परिभाषित सहायक व्यक्ति अभिप्रेत है;
v. विशेषज्ञ/अतिरिक्त सहायक सेवा सें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण हेतु दुभाशिये, अनुवादक, विशेष शिक्षक और वि ोशज्ञ अभिप्रेत है;
vi. ''बाल देखरेख संस्थान'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(21) में परिभाषित बाल देखरेख संस्थान अभिप्रेत है;
vii. ''बाल कल्याण समिति'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है;
viii. ''विशेष न्यायालय'' से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;
ix. ''पीड़ित'' से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में वर्णित अपराधों से पीड़ित (बालक/बालिका) अभिप्रेत हैं।
x. ''किशोर न्याय बोर्ड'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है;

xi. ''अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है;

xii. ''नियम''से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 अभिप्रेत है;

xiii. ''जिला बाल संरक्षण इकाई'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (26) में परिभाषित जिला बाल संरक्षण इकाई अभिप्रेत है;

xiv. ''राज्य सरकार'' से झारखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

ख. इस दिशा–निर्देश में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं किए गए, उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम अथवा नियम में वर्णित/परिभाषित किया गया है।

2. सहायक व्यक्ति की आवश्यकता और सूचीबद्धता (Empanelment):–

i. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 में उपबन्धित लैंगिक अपराध/हमला/दुर्व्यहार से पीड़ित को पोक्सो नियम 2020 के नियम 5 में उपबन्धित प्रावधान के अनुरूप पीड़ित को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहायक व्यक्ति का प्रावधान किया गया है, जब तक कि पीड़ित या उनके कानूनी अभिभावक लिखित रूप से सहायक व्यक्ति की सेवाओं का लाभ नहीं उठाने की अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं।

ii. सहायक व्यक्ति की सहायता छोड़ने का निर्णय किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना स्वतंत्र रूप से लिया जाना चाहिए।

iii. बाल कल्याण समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में निर्णय लेने से पहले पीड़ित या उनके कानूनी अभिभावक को बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत परामर्शदाताओं द्वारा अनिवार्य परामर्श प्रदान किया जाए।

2.1 सहायक व्यक्ति के लिए पात्रता :–

(क) भौक्षणिक योग्यता

1. कला/वाणिज्य/विज्ञान/विधि/मनोविज्ञान/सामाजिककार्य/बाल मनोविज्ञान/स्थानीय भाशा/ में स्नाकोत्तर की उपाधि या किसी भी संकाय में स्नातक की उपाधि एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव
2. भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) कार्यानुभव

1. बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान परार्म ादाता/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव अथवा,
2. DLSA / JHALSA/ DCPU/CWC/ JJB/ POCSO/ न्यायलय में कम से कम एक वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।

2.2 <u>विज्ञापनः</u> सहायक व्यक्तियों के पैनल के निर्माण के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के साथ–साथ प्रमुख समाचार पत्र में जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

2.3 **आवेदनों की जाँच**: उम्मीदवारों की शॉर्ट–लिस्टिंग के उद्देश्य से, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदनों की जाँच करेंगे और पात्र उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाएगें।

2.4 **चयन समिति**: व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी चार का कोरम द्वारा एक चयन समिति बनाई जाएगी–

(क.) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO)/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रतिनिधि/सचिव जिला सेवा प्राधिकार– अध्यक्ष

(ख.) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रतिनिधि/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी– सदस्य

(ग.) अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा नामित सदस्य प्रतिनिधि– सदस्य

(घ.) प्रधान दण्डाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नामित सदस्य प्रतिनिधि– सदस्य

(ड़) मनोचिकित्सा / बाल मनोचिकित्सा/ मनोविज्ञान / स्थानीय भाषा के विशेषज्ञ/ बाल अधिकार/ बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी/ गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि – विशेष आंमत्रित सदस्य

(च.) जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी– सदस्य सचिव

2.5 **साक्षात्कार**: वांछनीय अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदक की शैक्षणिक योग्यता/कार्यानुभव/बाल संरक्षण/किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) के तहत कार्य करने का अनुभव और बालक के साथ काम करने के अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

2.6 **मूल्यांकन**

i. **शैक्षणिक योग्यता**

क्र०	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1.	स्नातक	6
2.	स्नाकोत्तर	3
3.	अन्य	1
	कुल	10

ii. **कार्यानुभव** : प्रतिवर्ष के लिए 01 अंक अधिकतम 10 अंक

iii. **साक्षात्कार** : 30 अंक अधिकतम

3. सहायक व्यक्तिओं की पैनल का निर्माण :

क. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करायी जाएगी तत्पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा सूचीबद्व करते हुए सूची का प्रकाशन यथा शीघ्र कार्यालय के सूचना पट्ट पर किया जायेगा।

(i) सहायक व्यक्तिओं के सूचीबद्वता में 60 प्रतिशत महिला सदस्य एवं 40 प्रतिशत पुरूष सदस्य होंगे, विशेष परिस्थिति में जहाँ पर महिला सदस्य उपलब्ध नहीं है तो, उनके स्थान पर पुरूष सदस्य को सूचीबद्व किया जा सकता है।

ख. **पैनल बनाने की अवधिः** सहायक व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्व किया जाएगा, जिनके कार्यों का समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्व सहायक व्यक्तिओं के संबंध में निर्णय लिया जायेगा एवं तीन वर्ष की अवधी पूर्ण होने के दो माह पूर्व नये पैनल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंम्भ की जायेगी। पैनल की अवधी समाप्त होने के पूर्व नये पैनल का निर्माण कर लिया जायेगा।

ग. **सहायक व्यक्तियों का पृष्ठभूमि सत्यापनः** सहायक व्यक्ति की सूचीबद्वता का प्रकाशन कार्यालय पट्ट पर सदस्य सचिव द्वारा करने के प्श्चात् सूचीबद्व सहायक व्यक्तिओं के अपराधिक चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा करवाया जाएगा एवं किसी भी सूचीबद्व सहायक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना में कोई अपराधिक मामला दर्ज पाया जाता तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी तथा उनकी सूचीबद्वता रद्द कर दी जायेगी।

3.1 सहायक व्यक्तियों का डेटाबेसः–

i. सूचीबद्व सहायक व्यक्तियों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) कों उपलब्ध करायी जायेंगी।

ii. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्तियों को आवंटित किये गये केस की सूची संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायेगी।

iii. बाल कल्याण समिति एनसीपीसीआर के "POCSO Tracking Portal को अद्यतन करेगी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को पोर्टल अद्यतन करने में सहयोग करेगी। इस कार्य के लिए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (DCPO) जिम्मेवार व्यक्ति होंगे।

iv. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा इन कर्तव्यों के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (JSCPCR) राज्य स्तर पर निगरानी प्राधिकरण होगा।

3.2 **सहायक व्यक्ति को मामला सौंपने की प्रक्रिया**

कोई भी व्यक्ति, जिसे संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा सहायक व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध और चयनित किया गया है, उसे बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति के रूप में मामले सौंपे जाएंगे। ऐसा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा–

i. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण नियम, 2020 के नियम 4 के उप–नियम (7) के अनुसार, पीड़ित को सहायता प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्ति को संलग्न प्रपत्र ''ग'' के अनुसार मामला विशेष के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा नामित किया जायेगा।

ii. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत किसी लैंगिक हिंसा से पीड़ित के केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने अथवा अधिनियम के तहत् देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के 07 कार्यदिवसों की अवधि में निर्धारित प्रारूप में सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया जायेगा।

iii. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति नियुक्त करने से पूर्व इस संबंध में पीड़ित एवं उसके माता–पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर पीड़ित विश्वास करता है, को सूचित किया जायेगा तथा उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।

iv. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति के नियुक्ति आदेश की प्रति 24 घंटे के अंदर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थान को प्रेषित की जायेगी।

v. बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्ति को केस की तत्समय तक की संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जाएगी।

vi. सहायक व्यक्तियों का पैनल प्रत्येक जिले में मामलों की संख्या के 1:10 के अनुपात में होगा। बाल कल्याण समिति सहायक व्यक्तियों को मामले सौंपते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी–

क. बालक की शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, परिवारिक स्थिति, भाशा, दिव्यांगता, कानूनी सहायता और जागरूकता के साथ–साथ निवास से न्यायालय, निवास से अस्पताल आदि की दूरी।

ख. आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति के विवेक पर और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत सौंपे गए मामलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

4. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें एवं उसके कर्तव्य :–

सहायक व्यक्ति द्वारा केस के शुरूआत से अंत तक बालक को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वय की जायेगी। सहायक व्यक्ति पॉक्सो नियम, 2020 अंर्तगत नियम 4(9),

(12), (13), (14) और (15) में उल्लेखित भूमिका और दायित्वों का निर्वहण करेगा। उनके निम्नलिखित विशेष कर्तव्य हैं–

i. पीड़ित एवं उसके अभिभावक (पीड़ित जिस पर विश्वास करता है, सहित) को–

क. सहायक व्यक्ति की उपलब्धता एवं सेवाओं से अवगत कराना।

ख. उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।

ग. बयान, जाँच और परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।

घ. अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं केस में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतनः स्थिति से अवगत कराना।

ङ. झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस.सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से प्रतिकर/राहत उपलब्ध कराने हेतु आवेदन करना।

ii. पीड़ित को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली से परिचित कराना तथा न्यायिक कार्यवाही/विचारण विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में अनुसंधान/कार्यवाही/जाँच /विचारण/चिकित्सा परीक्षण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना। केस से संबंधित प्राधिकारियों/एजेंसियों के संपर्क में रहना तथा उपस्थिति के संबंध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से बालक एवं उसके अभिभावक को अवगत कराना।

iii. पीड़ित के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता, दुभाषियों, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय सुनिश्चित करना।

iv. पीड़ित को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक, कौशल प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

v. पीड़ित के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना।

vi. यदि पीड़ित किन्हीं कारणों से विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियों विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समन्वय स्थापित करना।

vii. संदिग्ध या अपराधी से खतरा होने की स्थिति में पीड़ित की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये पुलिस थाने से समन्वय स्थापित करना। पीड़ित एवं उसके परिवार को गवाह संरक्षण योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

viii. केस में विचारण के पश्चात् विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की व्याख्या एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से पीड़ित या उसके अभिभावक को अवगत कराना।

ix. किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पीड़ित से अभद्रता से बातचीत करने अथवा पीड़ित के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार होने की सूचना विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को उपलब्ध कराना।

x. पीड़ित की जरूरत एवं केस की परिस्थिति के अनुरूप पीड़ित के हित में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड एवं विशेष लोक अभियोजक अथवा पीड़ित के अधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर आपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

xi. पीड़ित की ओर से विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति में यात्रा व्यय के पुनर्भरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करना।

xii. निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित रहना तथा पीड़ित के संबंध में वास्तविक या कथित हित संघर्ष का खुलासा करना और बिना किसी लाग लपेट के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 317 के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करना।

xiii. लैंगिक हिंसा/दुर्व्यवहार से पीड़ित बालक के साथ बाल मित्रवत व्यवहार/संवाद स्थापित करना तथा पीड़ित बालक की निजता एवं गोपनीयता को संरक्षित रखना।

xiv. पीड़ित की निजता एवं केस की गोपनीयता को प्रत्येक स्तर पर संरक्षित रखना तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 (1)(2) के साथ पठित धारा 132 (3) के अधीन गोपनीयता के नियमों से बाध्य रहना।

xv. यदि पीड़ित बालिका गर्भवती है, तो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे अस्पतालों से जोड़ना। यदि पीड़ित बालक लैंगिक संचारित संक्रमणों से संक्रमित है या एचआईवी पॉजिटिव हो गया है, तो उसे आवश्यक विशेषज्ञता वाली सेवाओं और संगठनों से जोड़ना।

xvi. बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार केस में बालक के कल्याण एवं सकुशलता के लिये अन्य प्रासंगिक कार्य संपादित करना।

xvii. बालक एवं उसके केस से संबंधित कोई भी दस्तावेज बालक एवं उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकरण के साथ साझा नहीं करना। साथ ही किसी संदिग्ध आरोपी/अभियुक्त पक्ष के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद/तालमेल नहीं रखना।

xviii. जब तक केस के लिए आवश्यक न हो, बालक/परिवार से व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेना। किसी अन्य हितधारक से धन, उपहार, पारिश्रमिक आदि स्वीकार नहीं करना या मांग नहीं करना।

xix. एनसीपीसीआर के ''पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल'' पर उसे सौंपे गए प्रत्येक मामले की अद्यतन जानकारी अपलोड करना।

xx. जबरदस्ती राय देने और परिवार से वह कराने से बचना जो सहायक व्यक्ति स्वयं करना चाहता है।

सहायक व्यक्ति की अतिरिक्त भूमिका

- बालक और परिवार को परामर्श प्रदान करना।
- बालक के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- नए वातावरण में परिवार और बालक को स्थानांतरित करने और बसाने में मदद करना।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना।

4.1 सहायक व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया :–

i. बाल कल्याण समिति द्वारा निम्न परिस्थितियों में सहायक व्यक्ति को हटाया जा सकेगा:

- सहायक व्यक्ति के किसी बाल अपराध में लिप्त होने की सूचना मिलने पर या लिप्त पाये जाने की स्थिति में।
- सहायक व्यक्ति द्वारा किसी बालक के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा करने की स्थिति में।
- सहायक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रहने की स्थिति में अथवा उसके द्वारा बालक के केस में प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा प्रतिकूल हस्तक्षेप करने की स्थिति में।

ii. बाल कल्याण समिति द्वारा केस में सहायक व्यक्ति हटाने की सूचना संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

iii. बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सहायक व्यक्ति के हटाने संबंधी आदेश की सूचना 24 घंटे के अंदर संबंधित विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गयी है।

4.2 सहायक व्यक्ति के कार्यों की रिर्पोटिंग एवं पर्यवेक्षण :–

i. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप में मासिक स्तर पर किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी (LPO) को उपलब्ध कराई जायेगी, तत्पश्चात् विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. सहायक व्यक्तियों द्वारा मासिक स्तर पर उपलब्ध करायी गयी प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण पदाधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) (PONIC) के द्वारा पीड़ित के पुनर्वासन एवं सामाजिक एकीकरण हेतु Sponsorship/ Foster care / After care से आच्छादित करने के उददेश्य से (After care की स्थिति में पीड़ित की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्) नियमानुसार योजना अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

iii. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित एवं उसके अभिभावक से नियमित अंतराल पर सहायक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में उनकी राय प्राप्त की जायेगी।

iv. सहायक व्यक्ति के कार्यो का मूल्यांकन 03 चरणों में किया जायेगा।

क. विधिवत केस प्राप्त करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने, विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड में बालक के बयान लेखबद्ध होने, बालक का आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच और परीक्षण, प्रारूप–'ख' में प्रतिवेदन प्राप्त होने।

ख. चार्जशीट फाइल होने, केस की सुनवाई प्रारंभ होने, कंडिका 2.3 में उल्लिखित आवश्यक गतिविधियों का निष्पादन एवं प्रारूप–'घ' का प्रतिवेदन प्राप्त होने।

ग. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण निस्तारण, निस्तारण संबंधी दस्तावेज प्राप्त हाने के उपरांत।

5. पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल :–

बाल लैंगिक शोषण के पीड़ितों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सहायक व्यक्ति को NCPCR के पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल पोर्टल पर पीड़ितों की वास्तविक जानकारी ससमय अद्यतन रखनी होगी, जिससे प्रत्येक हितधारक की समग्र जवाबदेही सुनिश्चित होगी और पीड़ितों को उनके व्यक्तिगत मामलों के अनुसार देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

5.1 सहायक व्यक्तियों का परिचयात्मक प्रशिक्षणः–

मामलों में हस्तक्षेप शुरू करने से पहले सहायक व्यक्तियों को निम्नलिखित पहलुओं में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए–

i. सहायक व्यक्ति का अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण,

ii. POCSO अधिनियम, नियमों के प्रावधान,

iii. POCSO मामलों में सहायक व्यक्ति के रूप में विशिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ,

iv. मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की समझ, और क्या करें और क्या न करें के साथ बुनियादी परामर्श,

v. पीड़ित और परिवार के अधिकारों और हकों को समझना और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए,

vi. सहायक व्यक्ति के अधिकार,

vii. पीड़ित/परिवार की पहचान उजागर किए बिना POCSO मामलों में सोशल मीडिया और मीडिया स्पॉटलाइट सहित मीडिया कर्मियों से कैसे निपटना है,

viii. बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में किए जाने वाले उपायों को समझना,

ix. पीड़ित/परिवार को धमकी, जबरदस्ती या बल का सामना करने की स्थिति से निपटना

6. सहायक व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्रः–

i. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सहायक व्यक्तियों द्वारा उठाई गई शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण पदाधिकारी होगें एवं सभी सहायक व्यक्ति जिला बाल संरक्षण

पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी निम्नलिखित शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार शिकायत निवारण पदाधिकरी होगें–

क. पारिश्रमिक का भुगतान न होना और/या पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामले।

ख. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सहायक व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को खतरा, और,

ग. उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अन्य बाधाएँ।

घ. जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त शिकायत का निपटारा करेगी।

ii. अपीलः जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पारित शिकायत के समाधान के खिलाफ सभी अपील नियंत्री पदाधिकारी /उपायुक्त/ झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के पास होगी।

7. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा :–

i. दिशा–निर्देश के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को बजट आंवटन की कार्यवाही निदेशक–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा।

ii. दिशा–निर्देश के क्रियान्वयन की निदेशक–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

iii. जिले में उपायुक्त द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से दिशा–निर्देश का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सहायक व्यक्तियों के क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया/करवाया जायेगा।

v. एससीपीसीआर दिशा–निर्देश का राज्य स्तरीय निगरानी प्राधिकरण होगा।

vi. दिशा–निर्देश विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24 2685 राँची, दिनांक – 24.10.2024

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 526 / SP-POCSO/JSCPS/2023-24 – 2685 राँची, दिनांक – 24.10.2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः – 526 / SP-POCSO/JSCPS/2023-24 – 2685 राँची, दिनांक – 24.10.2024

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / विकास आयुक्त, झारखण्ड / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव,राजभवन, झारखण्ड , राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड / पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड / कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड / महानिबंधक,झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सदस्य सचिव, न्याय सदन, झालसा, राँची / निदेशक न्यायिक अकादमी, मेयर्स रोड, राँची / सभी जिला सत्र न्यायाधीश / सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / आदिवासी कल्याण आयुक्त / निदेशक–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, झारखण्ड,राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड / संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट / सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली / अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार / अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली / अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक

प्रारूप–क

सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए लैंगिक शोषण पीड़ित बालकों का अधिकार

1. एफआईआर की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल/पीएचसी, आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना।
6. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, वहां से बाल देखरेख संस्थान में स्थानांतरित होना।
7. बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
8. मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. जहां आवश्यक हो, दुभाषिये या अनुवादक प्राप्त करना।
10. दिव्यांग बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना।
11. निःशुल्क विधिक सहायता पाना।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना शिक्षा जारी रखना।
13. निजता और गोपनीयता।
14. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची प्राप्त करना।

तारीखः

ड्यूटी अधिकारी
(नाम और पदनाम)

मैंने 'प्ररूप– क' की एक प्रति प्राप्त की है। (पीड़ित/माता–पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर)

प्रारूप– ख

प्रारंभिक आंकलन प्रतिवेदन

क्र.सं	मापदंड	टिप्पणी
1	पीड़ित की उम्र	
2	अपराधी से पीड़ित का संबंध	
3	अपराध का प्रकार और उसकी गंभीरता	
4	पीड़ित की चोट की गंभीरता, मानसिक और शारीरिक नुकसान का विवरण	
5	क्या पीड़ित दिव्यांग (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक)है	
6	पीड़ित के माता–पिता की आर्थिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, माता–पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के बारे में विवरण	
7	क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान मामले की घटना के कारण किसी चिकित्सा उपचार से गुजर रहा/रही है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है?	
8	क्या मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जाँच और परीक्षण या अन्य कारणों से स्कूल से अनुपस्थिति सहित अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है?	
9	क्या दुर्व्यवहार एक अलग–थलग घटना थी या क्या यह दुर्व्यवहार निरंतर होता रहा था?	
10	क्या पीड़ित के माता–पिता का किसी प्रकार का इलाज चल रहा है या उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है?	
11	अगर उपलब्ध हो, तो पीड़ित का आधार संख्या	

तारीख :

थाना अध्यक्ष

प्रारूप– ग

बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु प्रारूप

(बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु आदेश– प्रासंगिक विवरण भरें)

संदर्भ संख्याः दिनांकः

विषयः पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित बालके हेतु सहायक व्यक्ति की नियुक्ति।

प्रसंगः (एफ.आई.आर. संख्या) (दिनांक)

लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020, के नियम 4(8) के अनुपालन में, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.)(जिला) थाना, (श्रेत्राधिकार) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... ..... के अनुसार (बालक का नाम) पुत्र/पुत्री श्रीमती (माता का नाम) तथा श्री (पिता का नाम) के प्रकरण में श्री/श्रीमती (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम) को जाँच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बालक तथा परिवार को सहायता प्रदान करने हेतु ''सहायक व्यक्ति'' नियुक्त करती है।

(सहायक व्यक्ति का पूरा नाम), आगे से इस प्रकरण में सहायक व्यक्ति के रूप में संदर्भित होंगे तथा समन्वय से संबंधित मामलों/विषयों के लिए संपर्क का बिंदु होंगे और पॉक्सो नियम, 2020 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं अन्य दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

सहायक व्यक्ति का विवरणः

पूरा नाम पताः

मोबाइल नंबर ई–मेल

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020 के नियम 4 (10) के अनुसार जाँच अधिकारी (जाँच अधिकारी का पूरा नाम) द्वारा संबंधित माननीय विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर नियुक्ति के बारे में सूचित कराना अनिवार्य है। अतः एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि जाँच अधिकारी द्वारा (बालक का पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (माता–पिता का पूरा नाम) के लिए सहायक व्यक्ति के रूप में श्री/श्रीमति (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम), की नियुक्ति के बारे में माननीय विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को सूचित किया जाये।

कृपया सहायक व्यक्ति को आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

सधन्यवाद,

अध्यक्ष/सदस्य
(बाल कल्याण समिति की मुहर)

प्रतिलिपिः

1. संबंधित जाँच अधिकारी (आई.ओ.) (नाम), थाना, (क्षेत्राधिकार)
3. जिला बाल संरक्षण इकाई, (जिला)
4. 3. (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम)

प्रारूप– घ

सहायक व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति को मासिक प्रतिवेदन

प्रारूप– भाग 1

प्रकरण विवरण

सहायक व्यक्ति आदेश प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)		सहायक व्यक्ति का नाम	
प्रकरण की जानकारी का सोर्स		थाना	
पीड़ित का नाम		एफ.आई.आर. सं.	
पीड़ित की उम्र		एफ.आई.आर. की तारीख	
घटना की तारीख		शिकायतकर्ता का नाम	
माँ का नाम		पिता का नाम	
चार्ज शीट दाखिल करने की तारीख		कोर्ट हॉल सं.	
विद्यालय		विशेष सी.सी. सं.	
आरोपी से संबंध		आरोपी की उम्र	
केस का संक्षिप्त विवरणः परिवारिक विवरण– परिवार की आर्थिक स्थिति– घटना का विवरण– बालक की मनोवैज्ञानिक, स्वस्थ्य, आर्थिक, शैक्षणिक, विधिक, आवास या अन्य आवश्यकतायें–			

तिथिवार केस के चरणों का विवरण

घटना/विवरण	दिनांक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 का बयान	
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 का बयान	
चिकित्सा परीक्षण	
मुआवजा लागू	
आरोपी को बेल	
बालक के साक्ष्य	
सजा तथा आदेश	

दिनांकः

सहायक व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

सहायक व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति को मासिक प्रतिवेदन
प्रारूप – भाग 2

पीड़ित का नामः.....

दिनांकः.....

जिलाः.....

बाल कल्याण समिति प्रकरण संख्या.....

प्रकरण की स्थिति :			
पीड़ित के वर्तमान निवास का पता तथा स्थान (किसके साथ रह रहा है):			
देखभालकर्ता का नाम :			
पीड़ित की स्थिति तथा देखभाल			
पीड़ित की कुशल–क्षेम	शारीरिक	भावनात्मक	मानसिक
परिवारिक स्थिति (परिवार के सदस्यों/देखभालकर्ता का रोज़गार, परिवार के अन्य सदस्यों की कुशलता):			
पीड़ित तथा परिवार की आघात से उबरने संबंधी प्रगति :			
चिकित्सा सुविधा के साथ बालक का जुड़ावः			
बालक हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेप :			
पुर्नवासः –पीड़ित की बहाली/निरंतर शिक्षा –पुनः एकीकरण –प्रायोजन –मुआवजा –सरकारी योजनाओं से जुड़ाव			
माह में बालक/परिवार के साथ बातचीत की तारीखें :			
अन्य जानकारी/विशेष टिप्पणी			

सहायक व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांकः

सहायक व्यक्ति के लिए चेकलिस्ट

प्रारूप – 3

क्र.सं	गतिविधि	स्थिति– दिनांक	टिप्पणी
1	आपातकालीन आवश्यकता का आकलन		
2	आवश्कातानुसार बाल गृह में आवास हेतु पहल		
3	आपातकालीन सेवाओं हेतु लिंकेज		
4	पीड़ित एवं/या परिवार का परामर्श		
5	सहायक व्यक्ति की उपलब्धता एवं सेवाओं की से अवगत कराना।		
6	उपलब्ध आपातकालीन एवं संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।		
7	बयान, जाँच और परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।		
8	पीड़ित बालक को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली से परिचित कराना		
9	पीड़ित बालक को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली से परिचित कराना		
10	संबंधित अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं से से अवगत कराना।		
11	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 का बयान में सहयोग		
12	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 का बयान में सहयोग		
13	चिकित्सा परीक्षण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना।		
14	विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में कार्यवाही/जाँच /विचारण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना।		
15	संबंधित अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं केस में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतनः स्थिति से अवगत कराना।		
16	झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस.सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से प्रतिकर उपलब्ध कराने हेतु आवेदन करना।		
17	न्यायिक कार्यवाही/विचारण केस से संबंधित प्राधिकारियों/ एजेंसियों के संपर्क में रहना तथा उपस्थिति के संबंध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से बालक एवं उसके अभिभावक को अवगत कराना।		
18	पीड़ित बालक के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता, दुभाषियों, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय सुनिश्चित करना।		
19	पीड़ित बालक को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा,		

	भावनात्मक, कौशल प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।		
20	पीड़ित बालक के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।		
21	यदि बालक किन्हीं कारणों से विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियों विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।		
22	किसी भी स्थिति में संदिग्ध अपराधी से खतरा होने की स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था के लिये पुलिस थाने से समन्वय करना।		
23	पीड़ित बालक एवं उसके परिवार को गवाह संरक्षण योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।		
24	बालक के केस एवं केस की प्रगति से संबंधित वांछित दस्तावेज प्राप्त कर बालक एवं उसके अभिभावक को उपलब्ध कराना।		
25	केस में विचारण के पश्चात् विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की व्याख्या एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से बालक या उसके अभिभावक को अवगत कराना।		
26	किसी के द्वारा बालक से अभद्रता से बातचीत करने अथवा बालक के साथ के दुर्व्यवहार होने की सूचना विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को उपलब्ध कराना।		
27	पीड़ित बालक की जरूरत एवं केस की परिस्थिति के अनुरूप बालक के हित में जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष न्यायालय/ किशोर न्याय बोर्ड एवं विशेष लोक अभियोजक, अथवा बालक के अधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।		
28	बालक की ओर से विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति में यात्रा व्यय के पुनर्भरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करना।		
29	निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित रहना तथा बालक के संबंध में वास्तविक या कथित हित संघर्ष का खुलासा करना और बिना किसी लाग लपेट के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 317 का बयान, के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करना।		
30	यदि पीड़ित बालिका गर्भवती है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बालक के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी विकल्पों के बारे में बालक को परामर्श देना।		
31	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के समतुल्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली बालिका के आधार से जुड़े बैंक खाते में 6000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता हेतु आवेदन।		
32	अन्य		